

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
17/07/2022

रजि० नम्बर
2022/132

प्रवेश तिथि
07-12-2022

निर्णय दिनांक
03-07-2024

- 1-फूलचन्द पुत्र भभड जाति मीणा निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी व जिला अलवर राजस्थान।
- 1/1 श्रीमति दाखॉ देवी धर्मपत्नी स्व.फूलचन्द जाति मीणा
- 1/2 गिराज प्रसाद पुत्र स्व.फूलचन्द जाति मीणा
- 1/3 गिरधारी लाल पुत्र स्व.फूलचन्द जाति मीणा
- 1/4 गजानन्द पुत्र स्व.स्व.फूलचन्द जाति मीणा
- 1/5 गजराज पुत्र स्व.स्व.फूलचन्द जाति मीणा निवासीयान न्यू कोलॉनी, दुर्गा मन्दिर के पास, थानागाजी तहसील अलवर।
- 1/6 गीता पुत्री स्व.स्व.फूलचन्द धर्मपत्नी रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बागावास चोरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
- 1/7 श्रीमती गोमती पुत्री स्व. फूलचन्द धर्मपत्नी रोशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बागावास चोरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज।

—अपीलान्टस



- 1-सहायक वन संरक्षक, वन्य जीव सारिस्का बाघ परियोजना, सारिस्का तहसील थानागाजी जिला अलवर।

—रेस्पोंडेंट

रिव्यू प्रार्थना पत्र बमुकदमा बअनुवानी फूलचन्द वगै० बनाम, सहायक वन संरक्षक, व अन्य, निर्णय दिनांक 18/11/2022

उपस्थित:-

1.श्री गिराज प्रसाद गुप्ता।

—वकील अपीलान्टस

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना-पत्र बअनुवानी फूलचन्द वगै० बनाम सहायक वन संरक्षक, वन्य जीव सारिस्का बाघ परियोजना, सारिस्का व अन्य निर्णय दिनांक 18.11.2022 प्रस्तुत किया है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों० को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दौराने बहस मे निवदेन किया कि न्यायालय के समक्ष न्यायालय हाजा. के निर्णय दिनांक 18.11.2022 के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है, जिस निर्णय कैप्सन मे तहसीलदार मुण्डावर गलत दर्ज किया है, जबकि उक्त निर्णय न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सारिस्का का है। उरोक्त उनवानी अपील का निर्णय दिनांक 18.11.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। निर्णय के कैप्शन मे तहसीलदार मुण्डावर गलत दर्ज किया है, जबकि उक्त निर्णय न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सारिस्का का है। इसमे तहसीलदार मुण्डावर गलत दर्ज किया गया है। इसलिए निर्णय के कैप्सन से तहसीलदार मुण्डावर को हटाया (हजफ) किया जाना न्यायसंगत है। उपरोक्त अनुवानी अपील न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सारिस्का अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की गई थी। जिसमे अपीलान्ट फूलचन्द पुत्र भभड का स्वर्गवास दौराने अपील दिनांक 18.08.2021 को हो चुका था। जिसके वारिसान द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो रिकॉर्ड पर

लिया गया, और संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया गया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत की जाने वाली कार्यवाही व्यक्तिगत कार्यवाही होती है, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2022 में अपीलान्त फूलचन्द की मृत्यु के पश्चात् न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 12/1996 में पारित दिनांक 06.06.2018 की कार्यवाही को ड्रॉप (निरस्त) नहीं किया गया है। निर्णय में पारित उक्त त्रुटि (भूल) अभिलेख को देखने मात्र से ही प्रकट होती है। जिस त्रुटि (भूल) को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक व न्याय संगत है। जिस हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत है, निर्णय दिनांक 18.11.2022 का होने के कारण प्रार्थना-पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है, उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, प्रार्थना-पत्र पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय में हुई त्रुटि (भूल) को दुरुस्त किया जाकर निर्णय के कैप्सन से तहसीलदार मुण्डावर हजफ (हटाया) किया जावे तथा निर्णय में न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 12/1996 में पारित दिनांक 06.06.2018 की कार्यवाही को ड्रॉप (निरस्त) की जाती है, जोडा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि निर्णय के कैप्सन में तहसीलदार मुण्डावर गलत दर्ज किया है। जिसे दुरुस्त कर न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का किया जावे तथा अपीलान्त फूलचन्द की मृत्यु दौराने अपील दिनांक 18.08.2021 को हो जाने के कारण मृत आदमी के विरुद्ध 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही किया जाना विधि विरुद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का द्वारा कि गई थी तथा मृतक के खिलाफ 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही किया जाना विधि विरुद्ध है। प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)